न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :– 15/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/525

अपीलार्थी	बनाम	उत्तरदातागण
अरविन्दसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी कोरणा तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा		1.सरपंच ग्राम पंचायत कोरणा 2.बाबुसिंह गोदपुत्र चन्द्रकंवर बेवा हेमसिंह जाति राजपूत निवासी कोरणा तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा 3.बाबुराम पुत्र सिरदाराराम जाति रबारी (देवासी) 4.कानाराम पुत्र जुगताराम जाति राईका 5.अर्जुनसिंह पुत्र कुमरसिंह जाति राजपूत 6.अनेककंवर पत्नि भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी कोरणा तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा 7.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1448 जो सरपंच ग्राम पंचायत कोरणा द्वारा आदेश दिनांक 09.8.2022 को स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :–

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री वीराराम प्रजापत अधिवक्ता उतरदाता संख्या 2
3.श्री जयदीपसिंह भाटी अधिवक्ता उतरदाता संख्या 3 से 6
4.उतरदाता संख्या 1 व 7 एकपक्षीय।

आदेश

दिनांक 25/02/2025

1.संक्षिप्त में अपील के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम कोरणा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1461/87 व 1726/87 कुल क्षेत्रफल 3.1566 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। विवादित आराजी के सहखातेदार उतरदाता संख्या 2 द्वारा अपने हक हिस्से भूमि मे से 1.01 बीघा भूमि का बेचान

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उतरदाता संख्या 03 को किया था तथा उक्त बेचानपत्र के अनुरूप ही नामान्तकरण पारित करने के बजाय बेचान से अधिक हिस्से का आलोच्य नामान्तकरण पारित किया गया। अतः अपीलार्थी की अपील अन्दर मयाद सुमार कर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त करते हुए बेचानपत्र के अनुरूप नए सिरे से नामान्तकरण दायर करने हेतु अपील पेश की गई।

2.अपीलार्थी की अपील मयाद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। उतरदाता को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता श्री जयदीपसिंह भाटी द्वारा उतरदाता संख्या 3 से 6 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया तथा अपीलार्थी की अपील के तथ्यों को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब पेश किया गया। अधिवक्ता श्री वीराराम प्रजापत द्वारा उतरदाता संख्या 02 की ओर से वकालतनामा पेश कर अपीलार्थी की अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर अपीलार्थी की अपील को खारिज करने का निवेदन किया गया। उतरदात संख्या 1 व 7 सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहरातें हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम कोरणा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1461/87 व 1726/87 कुल क्षेत्रफल 3.1566 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। विवादित आराजी के सहखातेदार उतरदाता संख्या 2 द्वारा अपने हक हिस्से भूमि मे से 1.01 बीघा भूमि का बेचान उतरदाता संख्या 03 को किया था तथा उक्त बेचानपत्र के अनुरूप ही नामान्तकरण पारित करने के बजाय बेचान से अधिक हिस्से का आलोच्य नामान्तकरण पारित किया गया। जिसके कारण अपीलार्थी द्वारा खरीदशुदा भूमि 03 बीघा का नामान्तकरण पारित नहीं हो पा रहा है। जबकि ग्राम पंचायत सरपंच को बेचानपत्र के अनुरूप ही नामान्तकरण पारित किया जाना चाहिए था,लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा नियमो से परे जाकर आलोच्य नामान्तकरण पारित किया गया। जिसके कारण अपीलार्थी के हक हकूक प्रभावित हो रहे है। आलोच्य नामान्तकरण जो कि प्रारम्भतः शून्य एवं निष्प्रभावी की श्रेणी में है,क्योंकि आलोच्य नामान्तकरण अपीलार्थी को बिना सुने एवं बिना विधिक प्रकियाओं को अपनाए पारित किया गया हैं,जबकि अपीलार्थी का विवादित आराजी पर बहिस्सा बराबर कब्जा–काश्त चला आ रहा हैं। आलोच्य अपीलाधीन आराजी में अपीलार्थी का राजस्व–रेकर्ड में नाम नहीं होने का उतरदाता नाजायज फायदा उठाते हुए अपीलार्थी को मौके पर से बेदखल करने पर उतारू हैं। अन्तः में निवेदन किया कि आलोच्य नामान्तकरण विधि–विरूद्ध पारित किए जाने के कारण आलोच्य नामान्तकरण संख्या 1448/09.8.2022 निरस्त कर बेचानपत्र के अनुरूप नए सिरे से नामान्तकरण पारित किए जाने का आदेश किया जावें।

4.उतरदाता संख्या 2 अधिवक्ता ने वक्त बहस निवेदन किया कि अपीलार्थी की अपील मनगढन्त तथ्यो के आधार पर होने के कारण चलने योग्य है,क्योकि विवादित आराजी मे से उतरदाता संख्या 02 द्वारा अपने धरेलू कार्यो की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उतरदाता संख्या 03 से 6 को बेचान किया है। उतरदाता संख्या 02 द्वारा उतरदाता संख्या 03 को बेचान भूमि के संबध में पारित

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

नामान्तकरण के विरूद्ध अपील पेश की गई है। जबकि विधि का सुस्पष्ट सिद्धात है कि किसी आदेश की अपील प्रभावित पक्षकार के द्वारा ही की जा सकती है,लेकिन वर्तमान प्रकरण में नामान्तकरण संख्या 1448 से अपीलार्थी किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होता है,मात्र सहखातेदार होने से हस्तगत नामान्तकरण अपील पेश करने का अपीलार्थी को कोई अधिकार नही है। क्योकि आलोच्य नामान्तकरण से अपीलार्थी प्रभावित नही होता है। अपीलार्थी ने मात्र उतरदाता संख्या 02 को डरा कर संयुक्त खसरे के विशेष भाग पर कब्जा करने की बदनियती से वर्तमान नामान्तकरण अपील पेश की गई है,जो कानूनन खारिज करने योग्य है। अतं में निवेदन किया कि अपीलार्थी की अपील सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज की जावें।

5. उतरदाता संख्या 3 से 6 अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तो उतरदाता को कोई आपति नहीं है।

6.हम प्रकरण को सर्वप्रथम मयाद के बिन्दु पर निर्णीत करना आवश्यक समझतें है। अव्वल तो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं नामान्तकरण संख्या 1448 के केवल अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तकरण विधि विरूद्ध पारित किया गया है। ऐसे आदेश प्रारम्भतः शून्य एवं निष्प्रभावी की श्रेणी में आतें है,इसके लिए मयाद का बिन्दू बनता ही नहीं है,क्योंकि जो प्रारम्भतःविधि विरूद्ध भरा गया नामान्तकरण मयाद की परिधि में आता ही नहीं है। ऐसी दशा में मयाद के सम्बन्ध में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना विधि और विधिक प्रक्रिया की प्राथमिक आवश्यकता है। क्योंकि विधि एवं विधिक प्रक्रिया का प्राथमिक उदद्वेश्य यह होता है कि निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रक्रियागत प्रावधान निर्णय में साधन के रूप में होते है न कि स्वंय साध्य के रूप में। अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मयाद अधिनियम बखूबी साबित होने से एवं विधि संगत होने से स्वीकार किया जाना हम आवश्यक एवं उचित समझतें है।

6.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात व अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1448 का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि विवादित आराजी ग्राम कोरणा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1461/87 व 1726/87 कुल क्षेत्रफल 3.1566 हैक्टयर भूमि मे से उतरदाता संख्या 02 द्वारा उतरदाता संख्या 03 को कुल भूमि का बेचान हिस्सा 21/390 यानि बेचान रकबा 1.01 बीघा का विक्रयपत्र दिनांक 30.7.2021 को किया गया था तथा उक्त बेचानपत्र के आधार पर आलोच्य नामान्तकरण पारित किया गया,जो कि विधि सम्मत पारित नहीं किया जाना प्रथम द्रष्यता पाया जाता है,क्योकि बेचान से अधिक हिस्सा दर्ज होना पाया गया है। जबकि कानूनन बेचानपत्र के अनुरूप ही नामान्तकरण पारित किया जाना चाहिए था। उतरदाता संख्या 03 जो कि विवादित आराजी मे खरीददार है तथा उक्त खरीददार के आलोच्य नामान्तकरण के विरूद्ध ही अपीलार्थी द्वारा अपील पेश की गई है,ने अपीलार्थी की अपील को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब पेश किया गया है। इससे ताईद होता है कि आलोच्य नामान्तकरण विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुए पारित नहीं हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

7.उपर्युक्त विवेचन के उपरांत भी न्यायालय हाजा यह उचित समझता है,कि हस्तगत प्रकरण में अपीलाधीन आराजी की खरीदशुदा भूमि पर पारित आलोच्य नामान्तकरण अपास्त करते हुए बेचानपत्र के अनुरूप अपीलाधीन भूमि का नामान्तकरण नए सिरे से पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार कल्याणपुर को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 मय प्रार्थना पत्र धारा–5,परिसीमा अधिनियम–1963 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने से आंशिक स्वीकार की जाती है। अपील में हुए विलंब काल को माफ किया जाता है। लिहाजा अपीलार्थी की अपील अन्दर मयाद सुमार कर आंशिक स्वीकार की जाती है,ग्राम पंचायत कोरणा के नामान्तकरण संख्या 1448 पर पारित सरपंच ग्राम पंचायत कोरणा के आदेश दिनांक 09.8.2022 को अपास्त कर,प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहसीलदार कल्याणपुर को प्रतिप्रेषित किया जाता है,कि बेचान दस्तावेज क्रम संख्या 202103141100432 दिनांक 30.7.2022 का विधिक परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

आदेश आज दिनांक 25/02/25 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

25/02/2025

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा